राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या–387/2016
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2016/00103
3. दायर दिनांक– 08.12.2016
4. निर्णय दिनांक– 02.05.2023

उनवानी

1. गोपी पुत्र स्व0 भैरू जाति बलाई निवासी रामपुरा तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर

.......वादी

बनाम

1. छोटू पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति बलाई
2. हरि पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति बलाई
3. नोसर पुत्री स्व0 भंवर लाल जाति बलाई
4. रामलाल पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति बलाई
5. मल्लाराम पुत्र स्व0 सरलाल जाति बलाई
6. मंगला पुत्र स्व0 सरलाल जाति बलाई
7. पूसा पुत्र स्व0 सरलाल जाति बलाई (delete)
8. पांचू पुत्र स्व0 सरलाल जाति बलाई
9. रामदेव पुत्र भैरू जाति बलाई
10. श्रीमती सोहनी पत्नि स्व0 सूजा जाति बलाई
11. रामदयाल पुत्र स्व0 सूजा जाति बलाई
12. कमला पुत्री स्व0 सूजा जाति बलाई
13. मन्ना पुत्री स्व0 सूजा जाति बलाई
14. सुगना पुत्री स्व0 सूजा जाति बलाई
    सर्वनिवासीगण ग्राम रामपुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
15. तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–: 1. गोविन्द दास पुरोहित, अरविन्द दाधिच अधि0प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ख0न0 279 रकबा 3–7 बीघा, ख0न0 291 रकबा 5–19 बीघा, ख0न0 60 रकवा 4–00 वीघा कुल किता 3 कुल रकवा [illegible] ग्राम रामपुरा तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 की भूमि में वादी का 1/5 हि0, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/5 हि0, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का 1/5 हि0, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/5 हि0 व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 का 1/5 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के मध्य वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन नही हुआ है। वादी को अपने 1/5 हिस्से की खातेदारी की भूमि को काश्त करने का विधिक अधिकार है जिसमें हस्तक्षेप करने का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 को कोई अधिकार नहीं है। वादी का उसके 1/5 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 द्वारा प्रतिवर्ष खरीफ/रबी की फसल काश्त करने में बाधा उत्पन्न की जाती है जिससे वादी काफी आहत रहता है। वादी को अपने 1/5 हिस्से की भूमि का विधि के प्रावधान अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाने का अधिकार है और अपने 1/5 हिस्से की

02.5.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:54:56 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का पृथक से खसरा नम्बर , खाता नम्बर व लगान कायम करवाने का अधिकार है। वादी को अपने 1/5 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। वादी वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व अपने 1/5 हिस्से की भूमि पर बुवाई/जुताई हेतु दिनांक 30.6.2016 को वादग्रस्त भूमि पर गया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 ने मिलकर वादी को बाधाकारित कर दी और वादी को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि हमारे कब्जे काश्त में है इस कारण तुम्हारा वादग्रस्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है। वकील वादी की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित भूमि का विभाजन किया जाकर वादी को 1/5 हिस्सा भूमि का अलग से खसरा नम्बर, खाता संख्या कायम किया जावे व इस संबंध की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का कोई दखलन्दाजी नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 15 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु हो जाने से सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 15 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रामपुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 51 में ख0न0 60 रकबा 4–00 बीघा छोटू , हरि, रामलाल पि0 भंवरलाल हि0 1/5 , लादी पत्नि श्रीलाल व अमरचन्द, मल्लाराम, मंगला, पूषा, पांचू पि0 श्रीलाल हि0 1/5 हि0ब0 रामदेव, गोपी पि0 भैरू हि0 2/5, सोहनी पत्नि सूजा , रामदयाल , कमला, मन्ना, सुगनी पि0 सूजा हि0 1/5 हि0ब0 कौम बलाई सा0देह खातेदार के नाम , ख0न0 279 रकबा 3–7 बीघा, ख0न0 291 रकबा 5–19 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 9–06 बीघा छोटू , हरि , रामलाल पि0 भंवरलाल हि0 1/10 , लादी पत्नि श्रीलाल व अमरचन्द, मल्लाराम, मंगला, पूषा, पांचू पि0 श्रीलाल हि0 1/10 हि0ब0 रामदेव, गोपी पि0 भैरू हि0 2/10, सोहनी पत्नि सूजा , रामदयाल , कमला , मन्ना, सुगनी पि0 सूजा हि0 1/10 हि0ब0 अमरचन्द, हरिराम , गोकुल पि0 कालू हि0 3/10, हगाम पुत्री कालू हि0 1/10, लाडा पत्नि रंगलाल , किशना, गोपाल, रामजीलाल, सुगना देवी पि0 रंगलाल हि0 1/10 कौम बलाई सा0देह खातेदार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया है। वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया जिस पर वादी के बयान लिये गये। वकील वादी की ओर से लिखित बहस पेश की गयी। तदनुसार प्रकरण में दिनांक 23.02.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। वकील वादी की बहस उपरान्त प्रकरण में तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन, किया एवं बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में बंटवारे के वाद आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी :–

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (हे0)	किस्म	विभाजन प्रस्ताव में दर्शित रंग
1	गोपी पुत्र भैरू हि0 सम्पूर्ण जाति बलाई सा0 देह खातेदार	60/1	0.1295	बा. 1	लाल
2	छोटू पुत्र भंवरलाल हि0 431/5177 हरि पुत्र भंवरलाल हि0 431/5177 रामलाल पुत्र भंवरलाल हि0 431/5177 मल्लाराम पुत्र श्रीलाल हि0 431/5177 मंगला पुत्र श्रीलाल हि0 431/5177 पांचू पुत्र श्रीलाल हि0 431/5177 भागचंद पुत्र रामदेव हि0 255/5177 कानाराम पुत्र रामदेव हि0 260/5177 किशना पुत्र रामदेव हि0 259/5177 लालचन्द पुत्र रामदेव हि0 259/5177	60/2	0.5177	बा. 1	नीला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:54:56 IST
Reason: SelfAttested

02.5.22
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

	हजारी पुत्र रामदेव हि0 259/5177 मोहनी पत्नि सुजा हि0 259/5177 रामदयाल पुत्र सुजा हि0 259/5177 कमला पुत्र सुजा हि0 259/5177 मन्ना पुत्री सुजा हि0 259/5177 सुगनी पुत्री सुजा हि0 259/5177 सर्व जाति बलाई, सर्व सा0देह खातेदार				
3	गोपी पुत्र भेरू हि0 सम्पूर्ण जाति बलाई सा0 देह खातेदार	279/1	0.0542	बा.1 = 0.0324 बा.3 = 0.0218	लाल
		291/1	0.0962	बा. 0.0914 बा. 0.0048	
4	छोटू पुत्र भंवरलाल हि0 501/13543 हरि पुत्र भंवरलाल हि0 501/13543 रामलाल पुत्र भंवरलाल हि0 501/13543 मल्लाराम पुत्र श्रीलाल हि0 501/13543 मंगला पुत्र श्रीलाल हि0 501/13543 पांचू पुत्र श्रीलाल हि0 502/13543 भागचंद पुत्र रामदेव हि0 301/13543 कानाराम पुत्र रामदेव हि0 302/13543 किशना पुत्र रामदेव हि0 301/13543 लालचन्द पुत्र रामदेव हि0 301/13543 हजारी पुत्र रामदेव हि0 301/13543 सोहनी पत्नि सुजा हि0 301/13543 रामदयाल पुत्र सुजा हि0 301/13543 कमला पुत्री सुजा हि0 301/13543 मन्ना पुत्री सुजा हि0 301/13543 सुगनी पुत्री सुजा हि0 301/13543 अमरचन्द पुत्र कालू हि0 1505/13543 किशना पुत्र रंगलाल हि0 301/13543 गोकुल पुत्र कालू हि0 1505/13543 गोपाल पुत्र रंगलाल हि0 301/13543 रामजीलाल पुत्र रंगलाल हि0 301/13543 लाडा पत्नि रंगलाल हि0 301/13543 सुगना देवी पुत्री रंगलाल हि0 301/13543 हगाम पुत्री कालू हि0 1505/13543 हरिराम पुत्र कालू हि0 1505/13543 सर्व जाति बलाई, सर्व सा0देह खातेदार	279/2 291/2	0.4878 0.8665	बा.1=0.2912 बा.3=0.1966 बा.1 = 0.8227 बा.3 = 0.0438	नीला

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम–डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा बाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट जाजोता मजमे आम में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:54:56 IST
Reason: SelfAttested

02.5.23
सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम–डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 387 / 16

1. गोपी पुत्र स्व0 भैरू जाति बलाई निवासी रामपुरा तह0 रूपनगढ़ ....वादी

बनाम

1. छोटू पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति बलाई
2. हरि पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति बलाई
3. नोसर पुत्री स्व0 भंवर लाल जाति बलाई
4. रामलाल पुत्र स्व0 भंवर लाल जाति बलाई
5. मल्लाराम पुत्र स्व0 सरलाल जाति बलाई
6. मंगला पुत्र स्व0 सरलाल जाति बलाई
7. पूसा पुत्र स्व0 सरलाल जाति बलाई (delete)
8. पांचू पुत्र स्व0 सरलाल जाति बलाई
9. रामदेव पुत्र भैरू जाति बलाई
10. श्रीमती सोहनी पत्नि स्व0 सूजा जाति बलाई
11. रामदयाल पुत्र स्व0 सूजा जाति बलाई
12. कमला पुत्री स्व0 सूजा जाति बलाई
13. मन्ना पुत्री स्व0 सूजा जाति बलाई
14. सुगना पुत्री स्व0 सूजा जाति बलाई
    सर्वनिवासीगण ग्राम रामपुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
15. तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रामपुरा स्थित ख0न0 279 रकबा 03–07 बीघा, ख0न0 291 रकबा 05–19 बीघा, ख0न0 60 रकबा 04–00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 13–06 बीघा भूमि की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मध्य हक हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर अलग खाता , अलग खसरा नं0 कायम कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 02 [illegible] को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:54:56 IST
Reason: SelfAttested

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

02.5.22
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)